



B611

दृष्टिान् 2286709
2286710

नव लेताना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226011

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2283/05/76/एक/2015 16

से दो में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-एटा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।
मुद्दोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु. में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएचएसडी कोड	धनराशि
क्रनं बैंक		IFSC Code	
	0372101028580	CNRB0000372	236.04

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के रापेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सोस की धनराशि का प्रेषण		
			वर्किंग कास्ट	लेबर सोस	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
एटा/भूतेश्वर	अनु० ८३ पीएलए	96	87.090	3.32	90.410
एटा/निधौलीकला	अनु० ८३ पीएलए	60	55.17	2.04	57.21
एटा/आवागढ़	अनु० ८३ पीएलए	96	85.19	3.23	88.42
योग			227.45	8.59	236.04

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पहेत पीएलएली तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मद्दों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके रापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किरी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किरी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्ययतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा गुरुवार त्योहार को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने होंगे।



31/2

दस्तावेज़ 229670
2296710

नव भौता केन्द्र, पा. अशोक नगर, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवारा निर्माण पर लाभार्थी अंशदान राशेंधित दरों पर हूडा द्वारा कार्यदारी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदारी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सकार के निर्देशानुसारा परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को हूडा के गांधम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०वी०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र हूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

मदारी

 (ललू प्रताप सिंह)
 वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामनगर जनपद।
2. परियोजना निदेशक, उ०प्र० री० ए० ई० ई० निर्देशक, इकाई हूडा।
3. परियोजना अधिकारी हूडा।
4. कम्युटर सेल/लेखा विभाग—हूडा।

(ललू प्रताप सिंह)
 वित्त नियन्त्रक